UPMT010046052026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2010/2026

जयरावत उर्फ वीर बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या–114/2026 धारा–309(4), 317(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना–मांट, जिला– मथुरा के अभियुक्त **जयरावत उर्फ वीर पुत्र पालेन्द्र सिंह** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी विजय सिंह पुत्र स्व. बलवीर सिंह निवासी ग्राम तलिया, थाना माँट, जिला मथुरा का निवासी है। दिनांक 17/05/2026 की रात्रि करीब 10:15 बजे वह अपने खेत, जो रोतेला ढाबा के पास है, से अपने घर जा रहा था। तभी तलिया अंडरपास के पास काली DELUX बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने मुंह पर काले रंग का कपड़ा बांध रखा था, ने उसे रोक लिया। उनमें से एक व्यक्ति के लम्बे बाल थे, जिसने तमंचा दिखाकर प्रार्थी का रियलमी कम्पनी का मोबाइल (IMEI No. 861952070227178 एवं 861952070227160) तथा पर्स, जिसमें ATM कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं 550 रुपये रखे थे, तमंचे का भय दिखाकर लूट लिया तथा जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घटना की सूचना प्रार्थी द्वारा 112 पर भी दी गई थी। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 114/2026, धारा–309(4),351(3) पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा– 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।
3. अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व न तो उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज है। फर्द बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है। कथित घटना स्थल से प्रार्थी/अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। प्रार्थी/अभियुक्त को मुखबिर द्वारा नामित किए जाने के बाद गिरफ्तार कर बरामदगी दर्शाई गई है। उपरोक्त घटना में लूटे गए माल एवं बरामदगी के माल में कोई समानता नहीं है तथा कोई स्पष्ट पहचान नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस को दिए गए जुर्म इकबालिया बयान के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य नहीं है तथा वादी मुकदमा से कोई शिनाख्त नहीं कराई गई है। गुडवर्क दिखाने के लिए गलत खुलासा किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला निचली अदालत द्वारा विचारणीय है तथा वह पूर्व में सजायाफ्ता व सिद्ध दोष नहीं है। जमानत पर छूटने के उपरान्त वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना एवं विचारण में पूरा–पूरा सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का एक मुकदमे का आपराधिक इतिहास है, जो जे.जे. बोर्ड, मथुरा में विचाराधीन है तथा अभियुक्त उसमें जमानत पर है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.07.06 10:55:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।
6. अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त पर दिनांक 17.05.2026 को रात्रि लगभग 10:15 बजे वादी विजय सिंह से तलिया अंडरपास के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचे का भय दिखाकर रियलमी मोबाइल, पर्स, ATM कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं ₹550 लूटने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप आक्षेपित है।
7. स्वीकृत रूप से कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त कई दिनांक से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना बताया है परंतु अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।
8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **जयरावत उर्फ वीर पुत्र पालेन्द्र सिंह** द्वारा मुवलिग 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–
    - क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,
    - ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
    - ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,
    - घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,
    - ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–04.07.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191